

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

मांग संख्या 15

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	106693.67	12853.23	119546.90	190914.27	51326.12	242240.39	113989.47	37250.92	151240.39	121038.41	51197.02	172235.43
वसूलियां	-5.61	...	-5.61
प्राप्तियां	-463.31	-12000.00	-12463.31	...	-50000.00	-50000.00	...	-36000.00	-36000.00	...	-50000.00	-50000.00
निवल	106224.75	853.23	107077.98	190914.27	1326.12	192240.39	113989.47	1250.92	115240.39	121038.41	1197.02	122235.43
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	61.89	...	61.89	66.51	...	66.51	69.89	...	69.89	71.46	...	71.46
2. राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर	19.31	5.28	24.59	20.60	7.12	27.72	21.14	6.92	28.06	22.51	7.02	29.53
3. खाद्य, गोदाम और भांडागारण के अन्य स्थापना व्यय	17.63	...	17.63	20.67	...	20.67	18.52	...	18.52	20.16	...	20.16
4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बंधित केंद्रीय सतर्कता समिति	0.01	...	0.01
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	98.83	5.28	104.11	107.78	7.12	114.90	109.56	6.92	116.48	114.13	7.02	121.15
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
खाद्य सस्मिडी												
5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारतीय खाद्य निगम को खाद्य राजसहायता	70098.00	...	70098.00	151000.00	...	151000.00	75000.00	...	75000.00	77982.54	...	77982.54
6. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्नों की विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति के लिए खाद्य राजसहायता	31029.49	...	31029.49	33000.00	...	33000.00	33508.35	...	33508.35	37337.14	...	37337.14
7. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देय चीनी राजसहायता	199.51	...	199.51	220.00	...	220.00	180.00	...	180.00	250.00	...	250.00
8. भारतीय खाद्य निगम को अर्थोपाय अग्रिम												
8.01 भारतीय खाद्य निगम को अर्थोपाय अग्रिम	...	12000.00	12000.00	...	50000.00	50000.00	...	36000.00	36000.00	...	50000.00	50000.00
8.02 भारतीय खाद्य निगम को अर्थोपाय अग्रिम का भुगतान	...	-12000.00	-12000.00	...	-50000.00	-50000.00	...	-36000.00	-36000.00	...	-50000.00	-50000.00
<i>निवल</i>
जोड़-खाद्य सस्मिडी	101327.00	...	101327.00	184220.00	...	184220.00	108688.35	...	108688.35	115569.68	...	115569.68
9. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्नों के राज्य के भीतर और उचित दर दुकानों के डीलरों को संदत्त मार्जिन के लिए राज्य की एजेंसियों को सहायता	3883.94	...	3883.94	4102.21	...	4102.21	1678.78	...	1678.78	3982.54	...	3982.54
10. चीनी मौसम 2017-18 के लिए चीनी मिलों को सहायता हेतु स्कीम	376.43	...	376.43	100.00	...	100.00	63.00	...	63.00
11. चीनी मौसम 2018-19 के लिए चीनी मिलों को सहायता हेतु स्कीम	1000.00	...	1000.00	2000.00	...	2000.00	200.00	...	200.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
12. चीनी के 40 एलएमटी के बफर स्टॉक का सृजन और अतुरक्षण की स्कीम	100.00	...	100.00	200.00	...	200.00
13. चीनी के बफर स्टॉक का सृजन और अतुरक्षण की स्कीम	200.23	...	200.23	350.00	...	350.00	450.00	...	450.00
14. चीनी मौसम 2019-2020 के लिए चीनी मिलों को सहायता हेतु स्कीम	100.00	...	100.00	500.00	...	500.00
15. इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और उसमें वृद्धि करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी स्कीम	100.00	...	100.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
16. निर्यात के संबंध में आंतरिक परिवहन, मालभाड़ा, देखरेख तथा अन्य प्रभागों का भुगतान करने हेतु स्कीम	500.00	...	500.00	550.00	...	550.00	200.00	...	200.00
17. चीनी मिलों को सरल ऋण प्रदान करने संबंधी स्कीम	200.00	...	200.00	100.00	...	100.00	120.00	...	120.00
18. निर्यात खेपों पर चीनी कारखानों को आंतरिक परिवहन तथा भाड़ा प्रभागों की प्रतिपूर्ति और अन्य अनुभेय दावों का भुगतान	0.63	...	0.63	0.63	...	0.63
चीनी उद्योग का विकास												
19. चीनी उद्योग के विकास की स्कीमें												
19.01 चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता/अन्य व्यय	24.62	...	24.62	21.00	...	21.00	21.00	...	21.00	22.00	...	22.00
19.02 चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता देने हेतु स्कीम, 2014	133.74	...	133.74	60.00	...	60.00	5.00	...	5.00
19.03 चीनी कारखानों के पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण के लिए ऋण	...	50.13	50.13	...	75.00	75.00	...	10.00	10.00	...	20.00	20.00
19.04 गन्ना विकास के लिए चीनी मिलों को ऋण	...	2.95	2.95	...	10.00	10.00	5.00	5.00
19.05 विद्युत परियोजनाओं के खोई आधारित सह-उत्पादन चीनी कारखानों को ऋण	...	150.00	150.00	...	125.00	125.00	...	50.00	50.00	...	75.00	75.00
19.06 एनहाइड्रस अल्कोहल या अल्कोहल से इथेनॉल के उत्पादन हेतु चीनी कारखानों को ऋण	...	81.87	81.87	...	60.00	60.00	...	135.00	135.00	...	50.00	50.00
जोड़- चीनी उद्योग के विकास की स्कीमें	158.36	284.95	443.31	81.00	270.00	351.00	26.00	195.00	221.00	22.00	150.00	172.00
20. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालन का सुदृढीकरण	18.66	...	18.66	30.00	...	30.00	17.00	...	17.00	8.70	...	8.70
21. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का समेकित प्रबंधन	25.00	...	25.00	50.00	...	50.00	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00
22. भंडारण और गोदाम	23.30	63.00	86.30	21.00	49.00	70.00	16.00	49.00	65.00	10.00	40.00	50.00
23. वास्तविक वसूलियां	-5.61	...	-5.61
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	106007.31	347.95	106355.26	190754.84	319.00	191073.84	113864.76	244.00	114108.76	120887.92	190.00	121077.92
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
24. भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण	7.61	...	7.61	8.40	...	8.40	13.55	...	13.55	16.36	...	16.36
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
25. हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड												
25.01 एचवीओसी को सहायता	574.31	...	574.31	0.60	...	0.60	0.60	...	0.60
25.02 घटाएं- प्राप्तियां	-463.31	...	-463.31
	निवल	111.00	111.00	0.60	...	0.60	0.60	...	0.60
26. भारतीय खाद्य निगम की इकट्टी पूंजी में निवेश	...	500.00	500.00	...	1000.00	1000.00	...	1000.00	1000.00	...	1000.00	1000.00
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	111.00	500.00	611.00	0.60	1000.00	1000.60	0.60	1000.00	1000.60	...	1000.00	1000.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	118.61	500.00	618.61	9.00	1000.00	1009.00	14.15	1000.00	1014.15	16.36	1000.00	1016.36

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
27. चावल का सुदृढीकरण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत इसका वितरण	42.65	...	42.65	1.00	...	1.00	20.00	...	20.00
कुल जोड़	106224.75	853.23	107077.98	190914.27	1326.12	192240.39	113989.47	1250.92	115240.39	121038.41	1197.02	122235.43
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	106164.41	...	106164.41	190776.49	...	190776.49	113899.23	...	113899.23	120935.26	...	120935.26
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	61.88	...	61.88	66.51	...	66.51	69.89	...	69.89	71.46	...	71.46
3. नागरिक आपूर्ति	0.01	...	0.01
4. खाद्य भंडारण और भाण्डागारण पर पूंजी परिव्यय	...	568.28	568.28	...	1011.12	1011.12	...	1010.92	1010.92	...	1022.02	1022.02
5. खाद्य भंडारण और भाण्डागारण के लिए ऋण
6. उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	...	284.95	284.95	...	270.00	270.00	...	195.00	195.00	...	150.00	150.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	106226.29	853.23	107079.52	190843.00	1281.12	192124.12	113969.13	1205.92	115175.05	121006.72	1172.02	122178.74
अन्य												
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र	29.40	...	29.40	19.40	...	19.40	11.90	...	11.90
8. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	-1.54	...	-1.54	41.87	...	41.87	0.94	...	0.94	19.79	...	19.79
9. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	45.00	45.00	...	45.00	45.00	...	25.00	25.00
जोड़-अन्य	-1.54	...	-1.54	71.27	45.00	116.27	20.34	45.00	65.34	31.69	25.00	56.69
कुल जोड़	106224.75	853.23	107077.98	190914.27	1326.12	192240.39	113989.47	1250.92	115240.39	121038.41	1197.02	122235.43

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			आं. ब. बा. सं.			जोड़			बजट सहायता			आं. ब. बा. सं.			जोड़		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़			
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश																		
अन्वेषण और उत्पादन																		
1. भारतीय खाद्य निगम	563.00	164846.30	165409.30	1049.00	90257.30	91306.30	1049.00	200257.30	201306.30	1040.00	222095.00	223135.00						
2. केंद्रीय भंडारण निगम	...	167.51	167.51	...	199.30	199.30	...	198.08	198.08	...	190.38	190.38						
जोड़-अन्वेषण और उत्पादन	563.00	165013.80	165576.80	1049.00	90456.59	91505.59	1049.00	200455.40	201504.40	1040.00	222285.40	223325.40						
जमा सहकारी समितियों को उधार																		

	बजट सहायता			आं. ब. बा. सं. जोड़			बजट सहायता			आं. ब. बा. सं. जोड़			बजट सहायता			आं. ब. बा. सं. जोड़		

3. सेंट्रल रेलसाइड बेयरहाउस कंपनी लिमिटेड	...	15.98	15.98	...	23.30	23.30	...	16.00	16.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00
जोड़-जमा सहकारी समितियों को उधार जोड़	...	15.98	15.98	...	23.30	23.30	...	16.00	16.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00
	563.00	165029.79	165592.79	1049.00	90479.90	91528.90	1049.00	200471.38	201520.38	1040.00	222305.38	223345.38	1040.00	222305.38	223345.38	1040.00	222305.38	223345.38

(₹ करोड़)

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर:** इसमें राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर का स्थापना व्यय, प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद तथा अन्य गतिविधियां जैसे छात्रावास सह-अतिथिगृह, प्रशिक्षण केंद्र एवं नए सम्मेलन कक्ष का निर्माण, मौजूदा छात्रावासों एवं सभागार का नवीकरण तथा परिसर को वाई-फाई परिसर में बदलना एवं क्लास रूम को स्मार्ट क्लास रूम में बदलना शामिल है।

3. **खाद्य, गोदाम और भांडागारण के अन्य स्थापना व्यय:** यह प्रावधान शर्करा और वनस्पति तेल निदेशालय, भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन एवं अनुसन्धान संस्थान, केन्द्रीय अनाज विज्ञान प्रयोगशाला, गुण नियंत्रण कक्ष के स्थापना व्यय तथा अन्तर्राष्ट्रीय अनाज परिषद और अन्तर्राष्ट्रीय चीनी परिषद के सदस्यता शुल्क के लिए है।

5. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारतीय खाद्य निगम को खाद्य राजसहायता:** यह प्रावधान भारतीय खाद्य निगम के लिए (i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा भारत सरकार की अन्य कल्याणकारी स्कीमों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत तथा उनके निर्गम मूल्य के बीच के अन्तर तथा (ii) बफर स्टॉक/कार्यनीतिक रिजर्व की रखरखाव लागत की प्रतिपूर्ति करने के लिए खाद्यान्नों के लेन-देन के संबंध में सस्मिडी के लिए है।

6. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्नों की विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति के लिए खाद्य राजसहायता:** यह प्रावधान खाद्यान्नों की विकेंद्रीकृत खरीद योजना के अंतर्गत केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों की खरीद करने वाली राज्य सरकारों को खाद्य सस्मिडी प्रदान करने के संबंध में है।

7. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देय चीनी राजसहायता:** यह प्रावधान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों को चीनी राज सहायता प्रदान करने के लिए है।

8.01. **भारतीय खाद्य निगम को अर्थोपाय अग्रिम:** यह प्रावधान भारतीय खाद्य निगम को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के लिए खाद्यान्न की खरीद के सम्बन्ध में अपनी नकद धन की प्रवाह आवश्यकताओं की पूर्ति, बफर स्टॉक आवश्यकताओं और खाद्यान्न हेंडलिंग को अर्थोपाय अग्रिम हेतु है। इस अग्रिम को उसी वित्त वर्ष में समायोजित कर लिया जाएगा।

9. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्नों के राज्य के भीतर और उचित दर दुकानों के डीलरों को संदत्त मार्जिन के लिए राज्य की एजेंसियों को सहायता:** यह प्रावधान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत खाद्यान्नों के रखरखाव, अंतर्राष्ट्रीय संचलन और उचित दर दुकानों के डीलरों को संदत्त मार्जिन पर होने वाले व्यय को पूरा करने हेतु राज्य-सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए है।

11. **चीनी मौसम 2018-19 के लिए चीनी मिलों को सहायता हेतु स्कीम:** यह प्रावधान चीनी मिलों को चीनी मौसम 2018-19 के संबंध में उस चीनी मौसम के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य के संबंध में किसानों के गन्ना मूल्य बकाया तथा पूर्ववर्ती चीनी मौसम के संबंध में गन्ना मूल्य बकाया के भुगतान के लिए सहायता प्रदान करने के लिए है।

12. **चीनी के 40 एलएमटी के बफर स्टॉक का सृजन और अनुरक्षण की स्कीम:** यह प्रावधान चीनी मिलों को 40 लाख टन चीनी के बफर स्टॉक की ब्याज, बीमा और चीनी कारखानों में भंडारण प्रभारों के रूप में रखरखाव लागत की प्रतिपूर्ति हेतु चीनी मिलों को निधियां प्रदान करने के लिए है।

14. **चीनी मौसम 2019-2020 के लिए चीनी मिलों को सहायता हेतु स्कीम:** यह प्रावधान चीनी मिलों को चीनी मौसम 2019-20 के संबंध में उस चीनी मौसम के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य के संबंध में किसानों के गन्ना मूल्य बकाया तथा पूर्ववर्ती चीनी मौसम के संबंध में गन्ना मूल्य बकाया के भुगतान के लिए सहायता प्रदान करने के लिए है।

15. **इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और उसमें वृद्धि करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी स्कीम:** यह प्रावधान चीनी मिलों के लिए एथनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए नए इंजीनियरिंग बॉयलरों की स्थापना करके मौजूदा डिस्टिलरियों में वर्ष के दौरान कार्य दिवस की संख्या बढ़ाकर तथा चीनी मिलों से संबद्ध नई डिस्टिलरियों की स्थापना करके एथनॉल उत्पादन क्षमता में विस्तार करने के लिए है।

16. **निर्यात के संबंध में आंतरिक परिवहन, मालभाड़ा, देखरेख तथा अन्य प्रभारों का भुगतान करने हेतु स्कीम:** यह प्रावधान चीनी मौसम 2018-19 के दौरान चीनी के निर्यात को सुगम बनाने के लिए सहायता प्रदान करने के संबंध में है जिससे चीनी मिलों की नकदी की स्थिति में सुधार करके उन्हें चीनी मौसम 2018-19 के संबंध में किसानों के गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करने में समर्थ बनाया जा सके।

17. **चीनी मिलों को सरल ऋण प्रदान करने संबंधी स्कीम:** यह प्रावधान चीनी मिलों को दिए गए ऋण पर ब्याज उपदान प्रदान करने के लिए है ताकि वे चीनी मिलों के लिए किसानों का गन्ना मूल्य बकाया 2018-19 समाप्त कर सकें।

19.01. **चीनी उद्योग के विकास की स्कीमें:** यह प्रावधान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) को एजेंसी कमीशन के भुगतान करने के लिए है।

19.03. **चीनी कारखानों के पुनर्स्थापन /आधुनिकीकरण के लिए ऋण:** यह व्यय चीनी कारखानों के पुनर्वास और आधुनिकीकरण के लिए रियायती ऋण प्रदान करने के लिए है।

19.04. **गन्ना विकास के लिए चीनी मिलों को ऋण:** यह प्रावधान गन्ना विकास हेतु चीनी मिलों को रियायती ऋण प्रदान करने के लिए है।

19.05. **विद्युत परियोजनाओं के खोई आधारित सह-उत्पादन चीनी कारखानों को ऋण:** यह प्रावधान खोई आधारित सह-उत्पादन विद्युत परियोजनाओं के लिए चीनी कारखानों को रियायती ऋण देने हेतु है।

- 19.06. **एनहाइड्रस अल्कोहल या अल्कोहल से इथेनाल के उत्पादन हेतु चीनी कारखानों को ऋण:** यह प्रावधान अल्कोहल से एनहाइड्रस अल्कोहल अथवा एथनॉल के उत्पादन के लिए चीनी कारखानों को रियायती ऋण प्रदान करने के लिए है।
20. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालन का सुदृढीकरण:** यह प्रावधान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण से संबंधित स्कीमों जैसे प्रशिक्षण, टीपीडीएस के लाभार्यियों के बीच जागरूकता उत्पन्न करना, ई-गवर्नेंस, गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र और टी. पी. डी. एस. प्रचालनों का एक सिरे से दूसरे सिरे तक कंप्यूटरीकरणके लिए है। बजट अनुमान 2020 -21 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 0.40 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है।
21. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली का समेकित प्रबंधन:** यह प्रावधान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन पर खर्च के लिए है। बजट अनुमान 2020-21 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 1.50 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है।
22. **भंडारण और गोदाम:** यह प्रावधान भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों के द्वारा भंडारण क्षमता के निर्माण (गोदाम और साइलो) के लिए है। बजट अनुमान 2020-21 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 46 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है।
24. **भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण:** यह प्रावधान भंडारण विकास और विनियामक प्राधिकरण को प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) तथा नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीदों/ट्रान्सफॉर्मेशन प्लान की ऑनलाईन मानीटरिंग हेतु स्थापना व्यय एवं आई टी समर्थित प्रणाली संबंधी व्यय के लिए अनुदान-सहायता-वेतन तथा अनुदान-सहायता-सामान्य प्रदान करने के लिए है।
26. **भारतीय खाद्य निगम की इक्विटी पूंजी में निवेश:** यह प्रावधान भारतीय खाद्य निगम की इक्विटी पूंजी में निवेश के लिए है।
27. **चावल का सुदृढीकरण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत इसका वितरण:** यह प्रावधान 15 चयनित जिलों में प्रायोगिक आधार पर एनीमिया तथा सूक्ष्मपोषक तत्वों की कमी की समस्या का समाधान करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सुदृढीकृत चावल के वितरण के लिए है।